न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अंजु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 189/2022

उनवान

1. मणीलाल पुत्र धुलिया जाति भील निवासी रैयाना तहसील अरथूना, जिला बांसवाड़ा।

—: वादी

बनाम

1. मानेंग पिता रूपेंग जाति भील निवासी रैयाना, तहसील अरथूना, जिला बाँसवाडा।
2. केरेंग पिता रूपेंग जाति भील निवासी रैयाना, तहसील अरथूना, जिला बॉसवाडा।
3. नानी पत्नी करेंग जाति भील निवासी रैयाना, तहसील अरथूना, जिला बॉसवाडा।
4. तहसीलदार, अरथूना, जिला बॉसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 25.6.2024

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि के सर्वे नम्बर 2995 रकबा 0.2000 हे0, सर्वे नम्बर 3079 रकबा 0. 2000 हे0, सर्वे नम्बर 3080 रकबा 0.1400 हे0, सर्वे नम्बर 3088 रकबा 0.0700 हे0, सर्वे नम्बर 3091 रकबा 0.0700 हे0, सर्वे नम्बर 3092 रकबा 0.1600 हे0, सर्वे नम्बर 3093 रकबा 0.1700 हे0, सर्वे नम्बर 3094 रकबा 0.2000 हे0 कुल खसरे 8 रकबा 1. 2100 हे0 वादी के संयुक्त स्वामित्व की भूमि वाके ग्राम रैयाना, पटवार हल्का रैयाना, भू. अभि. नि. रैयाना, तहसील अरथूना, जिला बाँसवाडा राज में स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवं उसके परिवार की संयुक्त पेतृक कृषि भूमि है जिस पर वादी एवं उसके परिवार वाले पैतृक समय से काश्त कर फसल कमाते आ रहें है तथा इस भूमि का उपयोग एवं उपभोग करते आ रहें है। आज से तीन रोज पूर्व उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण 1 से लगायत 3 वादी के आराजी सर्वे नम्बर 3079 रकबा 0.2000 हे0 व सर्वे नम्बर 3080 रकबा 0.1400 हे0 पर अनाधिकृत रूप से ट्रैक्टर लेकर जोतने हेतु प्रवेश कर गए व वादी के रोकने पर उक्त भूमि को अपना बता जान से मारने उतारू हो गए तथा वादी की उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण अनाधिकृत प्रवेश कर गैर कानूनी रूप से वादी के स्वामित्व की भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु आमादा हो गए। तथा झुठें स्त्रीलज्जा भंग एवं बलात्कार कें मुकदमें करने की धमकिया देने लगे व कहने लगे कि उक्त भूमि पर हम कृषि कार्य करके रहेंगे तु हमें नहीं रोक सकता जिस कारण से वादी को उक्त वाद पेश करने बाबत् विवश होना पडा है। जिस कारण प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना अतिआवश्यक है इस हेतु हस्ब धारा 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पेश है। वाद कारण आज से तीन रोज पूर्व प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 3 वादी की संयुक्त स्वामित्व की कृषि भूमि पर गैर कानूनी रूप से ट्रैक्टर से जोतने व कृषि कार्य करने पर आमादा होने तथा बावजुद समझाने पर भी नहीं मानने से उत्पन्न हुआ है। दौराने वाद विचारण प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 3 उक्त वादी की संयुक्त स्वामित्व की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे ना ही किसी अन्य से करावें जिसे जरिए आज्ञापक आदेश रोका जाना अतिआवश्यक है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री सादर फरमावें कि वादी के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी सर्वे नम्बर 3079 रकबा 0.2000 हे0, एवं सर्वे नम्बर 3080 रकबा 0.1400 हे0 भूमि में गैर कानूनी रूप से अनाधिकृत प्रवेश ना करें, एवं गैर कानूनी रूप से वादी के खाते की कृषि भूमि में कृषि कार्य करने का प्रयास ना करें, एवं वादी की कृषि भूमि पर अतिक्रमण एवं निर्माण करने का प्रयास ना करें, एवं वादी के शान्तिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग में व कृषि कार्य में रूकावट व बाधा उत्पन्न नहीं करें व लडाई–झगडा नहीं करें, एवं ना ही किसी से करावें । इस आशय की डिक्री जारी कराने धारा 188 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत हुआ।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादीगण की ओर से श्री तस्लिम अहमद, अभिभाषक का वकालातनामा पेश होकर प्रतिवादीगण की तरफ से जवाब समय चाहा गया। प्रतिवादी अभिभाषक को जवाब हेतु कई

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाडा

अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत नही होने पर प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया गया। तत्पश्चात् प्रकरण में तहसीलदार अरथूना से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट लि जाने पर तहसीलदार अरथूना द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि "ग्राम रैयाना के आराजी नम्बर 3079 रकबा 0.20 हे0, आराजी नम्बर 3080 रकबा 0.14 हे0 भूमि खातेदार कंकु पत्नि स्व0 हिरालाल, कमला पुत्री हिरालाल, नानुलाल पुत्र धुलिया, प्रेमिला पुत्री हिरालाल, मणीलाल पुत्र धुलिया, सीमा पुत्री हिरालाल के खाते में दर्ज रिकार्ड है। मौके पर मोतबिरान द्वारा बताया गया कि उक्त आराजी नम्बर पर मानेंग पितां रूपेंग जाति भील वगैराह निवासी रैयाना द्वारा वर्षो से कब्जा कर रख है। वर्तमान में आराजी नम्बर 3080 रकबा 0.14 हे0 भूमि पर रूपेंग वगैराह ने मक्का की फसल बो रखी होना अवगत कराया गया" प्रकरण में वादी की साक्ष्य के रूप में वादी मणिलाल की साक्ष्य का शपथ पत्र पैष हुआ प्रतिवादी अभिभाषक के न्यायालय में उपस्थित नही होने से वादी की साक्ष्य के शपथ–पत्र की मकल प्रतिवादी के अभिभाषक को उपलब्ध नही कराई जा सकीं। प्रकरण में नियत पैशी पर वादी अभिभाषक द्वारा वादी के गवाह को जिरह हेतु उपस्थित किया परन्तु प्रतिवादी अभिभाषक के उपस्थित नही होने पर वादी के गवाह से जिरह नही होकर वादी अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात पर प्रदर्श अंकित करवाया गया।

प्रकरण में प्रस्तुत वाद एंव संलग्न अभिलेख आदि का अवलोकन किया जाने पर ज्ञात आया कि पटवार हल्का रैयाना के मौजा रैयाना के खाता संख्या 237 (नया) 206 (पुराना) के सर्वे नम्बर 2995 रकबा 0.2000 हे0, सर्वे नम्बर 3079 रकबा 0. .2000 हे0, सर्वे नम्बर 3080 रकबा 0.1400 हे0, सर्वे नम्बर 3088 रकबा 0.0700 हे0, सर्वे नम्बर 3091 रकबा 0.0700 हे0, सर्वे नम्बर 3092 रकबा 0.1600 हे0, सर्वे नम्बर 3093 रकबा 0.1700 हे0, सर्वे नम्बर 3094 रकबा 0.2000 हे0 कुल खसरे 8 रकबा 1. 2100 हे0 भूमि वादी के संयुक्त पारिवारिक खाते में दर्ज रिकार्ड होकर उक्त भूमि के मालिक व स्वामी वादी एंव वादीगण के परिवारजन ही है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि के सर्वे नम्बर 3079 रकबा 0.20 हे0, सर्वे नम्बर 3080 रकबा 0.14 हे0 कुल किता दो रकबा 0.34 हे0 भूमि पर प्रतिवादीगण मानेंग पिता रूपेंग वगैराहन निवासी रैयाना द्वारा कब्जा काश्त किया जा रहा है जो अनाधिकृत/अवैधानिक होकर न्यायसंगत नही है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण मानेंग–केरेंग पिता रूपेंग, नानी पत्नि केरेंग जाति भील निवासी रैयाना को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता हैं कि पटवार हल्का रैयाना के मौजा रैयाना की खाता संख्या 237 (नई) 206 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 3079 रकबा 0.20 हे0, सर्वे नम्बर 3080 रकबा 0.14 हे0 भूमि में किसी प्रकार का अनुचित कार्य, अतिक्रमण, नही करें एंव न ही किसी अन्य से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे वादी को अपनी खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होवे।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण मानेंग–केरेंग पिता रूपेंग, नानी पत्नि केरेंग जाति भील निवासी रैयाना को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता हैं कि पटवार हल्का रैयाना के मौजा रैयाना की खाता संख्या 237 (नई) 206 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 3079 रकबा 0.20 हे0, सर्वे नम्बर 3080 रकबा 0.14 हे0 भूमि में किसी प्रकार का अनुचित कार्य, अतिक्रमण, नही करें एंव न ही किसी अन्य से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे वादी को अपनी खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होवे। इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.6.2024 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

डिक्री व मुकदमे की इब्राजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : सुश्री अंजु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 189/2022

उनवान

1. मणीलाल पुत्र धुलिया जाति भील निवासी रैयाना तहसील अरथूना, जिला बांसवाड़ा।

—: वादी

बनाम

1. मानेंग पिता रूपेंग जाति भील निवासी रैयाना, तहसील अरथूना, जिला बाँसवाडा।
2. केरेंग पिता रूपेंग जाति भील निवासी रैयाना, तहसील अरथूना, जिला बॉसवाडा।
3. नानी पत्नी करेंग जाति भील निवासी रैयाना, तहसील अरथूना, जिला बाँसवाडा।
4. तहसीलदार, अरथूना, जिला बॉसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक:25.6.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण मानेंग—केरेंग पिता रूपेंग, नानी पत्नि केरेंग जाति भील निवांसी रैयाना को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता हैं कि पटवार हल्का रैयाना के मौजा रैयाना की खाता संख्या 237 (नई) 206 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 3079 रकबा 0.20 हे0, सर्वे नम्बर 3080 रकबा 0.14 हे0 भूमि में किसी प्रकार का अनुचित कार्य, अतिक्रमण, नही करें एंव न ही किसी अन्य से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे वादी को अपनी खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होवे। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक25.6.2024 को जारी की गई।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

25.6.24 पत्रावली पेश हुई। वादी मय अभिभाषक
उपस्थित। प्रतिवादी अभिभाषक अनुपस्थित। वादी
की ओर से प्रस्तुत वाद। प्रतिलेख का अवलोकन
किया गया। प्रकरण में [illegible] डिक्री पूर्वक
जारी कर पत्रावली फैसल शुमार कर दाखिल
दफ्तर की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाडा